

# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 35 / 2019 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री ब्रज बिहारी पुत्र श्री किशन लाल बंसल  
एफबीओ मैसर्स:- पंकज सेल्स एजेन्सीज, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय  
जिला दौसा ।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।  
: अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:- 13.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये हैं और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 01.03.2019 को 11:15 AM पर मैसर्स:- पंकज सेल्स एजेन्सीज, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री ब्रज बिहारी पुत्र श्री किशन लाल बंसल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक गत्ते के कार्टून में 18 मूल पैक बोतल में 750 ग्राम वजन में Red Chilli Sauce (Sharma's Kwality) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर नमूने की जांच हेतु 4 मूल पैक 750 ग्राम वजनी Red Chilli Sauce (Sharma's Kwality) की बोतल खरीदी। जिनकी कीमत 160 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा Red Chilli Sauce (Sharma's Kwality) की बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.- 2129 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को



न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहन को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 03.03.2019 को खाद्य विश्लेषक के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 05.03.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 06.03.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ Red Chilli Sauce (Sharma's Kwalitiy) के नमूने की खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./633/एक्ट/2019/346 दिनांक 01.04.2019 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./633/एक्ट/2019/346 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Red Chilli Sauce (Sharma's Kwalitiy) के नमूने में Total soluble solids की मात्रा 3.61 प्रतिशत पायी गई है, जो कि निर्धारित मानक 8.0 प्रतिशत के काफी कम है तथा Acidity as acetic acid की मात्रा 0.86 प्रतिशत पायी गई है, जो कि निर्धारित मानक 1 प्रतिशत से कम है। इसलिये जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ हमारे द्वारा बिल से क्रय करके पैक ही बिल द्वारा विक्रय किया जाता है, परन्तु उक्त बैच का बिल कही गुम हो गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया गया।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./633/एक्ट/2019/346 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है। जो कि एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ Red Chilli Sauce (Sharma's Kwalitiy) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री ब्रज बिहारी पुत्र श्री किशन लाल बंसल, एफबीओ मैसर्स:- पंकज सेल्स एजेन्सीज, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा पर 10,000/- ( अक्षरे दस हजार रूपये ) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 13.11.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया

गया।

( लोकेश कुमार मीना )

न्याय अतिरिक्त अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, दौसा  
दिनांक: 29.11.2019

क्रमांक / 2530-32

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री ब्रज बिहारी पुत्र श्री किशन लाल बंसल, एफबीओ मैसर्स:- पंकज सेल्स एजेन्सीज, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा

( लोकेश कुमार मीना )

न्याय अतिरिक्त अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, दौसा